

प्रपत्र-4

परियोजना का नाम :- राजकीय मालीवेकिन्ड-चौपता (तल्लानगपुर) में राजकीय मालीवेकिन्ड की स्थापना हेतु 100 माली अर्थात् 2 हे० भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।
संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 18/2/2015 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री राजीव सिंह नेगी वन करीग, राजस्व विभाग की ओर से श्री लक्ष्मी प्रसाद मैथली राठन निरीक्षक प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ए.के.एस. गौड़ द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि, X हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि, 2.00 हे०, वन पंचायत भूमि X हे० एवं नाप भूमि X हे० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से गाँव व जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 11 वृक्षों व नाप भूमि पर X वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....

ह०/-

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

ह०/-

(राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)

ह०/-

(वन विभाग का प्रतिनिधि)

ह०/-

(जिलाधिकारी)

ह०/-

(प्रधान/वन पंचायत का प्रतिनिधि)

ह०/-

(सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)

ह०/-

(ग्राम प्रधान/वन पंचायत सरपंच)

नोट :- उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं के हस्ताक्षर के उपरान्त प्रस्ताव के साथ लगाई जानी है।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

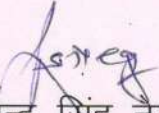
उत्तराखण्ड सरकार शासनादेश संख्या 790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के स्थान चोपता (तल्ला नागपुर) में राजकीय पॉलिटैक्निक की स्वीकृत प्राप्त होने पर इस पॉलिटैक्निक के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम कुण्डा दानकोट की सीमान्तर्गत सरकार केशर हिन्द नम्बर 3308,3319,4158 एवं 4059 मध्ये कुल हैक्टेयर भूमि चयनित की गयी है ।

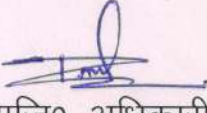
जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के पत्रांक संख्या 1229/छब्बीस-12(2012-13) दिनांक 27 जनवरी 2015 के अनुपालन में आज दिनांक 12-02-2015 को चयनित भूमि का संयुक्त निरीक्षण याचक विभाग के प्रतिनिधि श्री ए0के0एस0 गौड़, प्रधानाचार्य/समन्वयक राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता (रुद्रप्रयाग) के साथ वन विभाग के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह नेगी, वन दरोगा घिमतोली, श्री लक्ष्मी प्रसाद मैठाणी राजस्व उप निरीक्षक चोपता के साथ श्री एम0एल0 भेतवाल तहसीलदार रुद्रप्रयाग द्वारा किया गया । संयुक्त निरीक्षण में चयनित भूमि प्रस्तावित प्रयोजन हेतु उपयुक्त एवं उचित पायी गयी है ।

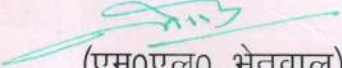
उपरोक्त प्रस्तावित भूमि में 10 से 70 सेमी0 गोलाई के 9 पेड़ चीड़ के तथा 10 से 40 सेमी0 गोलाई के दो पेड़ सुरई के स्थित होने पाये गये । वनक्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है !

अतः रिपोर्ट मौके पर कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

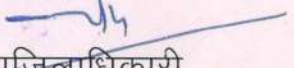

(लक्ष्मी प्रसाद मैठाणी)
राजस्व उप निरीक्षक
चोपता

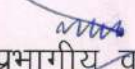

(राजेन्द्र सिंह नेगी)
वन दरोगा घिमतोली


राजि0 अधिकारी
वन विभाग रुद्रप्रयाग


(एम0एल0 भेतवाल)
तहसीलदार
रुद्रप्रयाग


(ए0के0एस0 गौड़)
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड


उपजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि वन क्षेत्र अगस्त्यमुनि

पत्रांक 310

/ 12-1

दिनांक 18-02-2015

25

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

विषय:- राजकीय पोलिटैक्निक चोपता की प्रस्तावित आवासीय भूमि का संयुक्त निरीक्षण।

सन्दर्भ:- जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग का पत्रांक 1229/छब्बीस-12(2012-13) दिनांक 27 जनवरी 2015 एवं आपका दूरभाष संदेश।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के क्रम में निवेदन करना है राजकीय पोलिटैक्निक चोपता की आवासीय भूमि जो कि कुण्डा दानकोट सिविल भूमि में पड़ता है। जिसका संयुक्त निरीक्षण श्री राजेन्द्र सिंह नेगी वन दारोगा धिमतौली द्वारा किया गया। प्रस्तावित आवासीय भूमि में आने वाले वृक्षों की सूची निम्न प्रकार है।

जाति का नाम	व्यास श्रेणी										योग
	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर	
चीड़ हरा खड़ा	1	02	01	01	02	01	01	00	0	0	9
सुरई हरा खड़ा	0	01	0	01	0	0	0	0	0	0	2
योग	1	3	1	2	2	1	1	0	0	0	11 /

अतः सूचना सेवा में प्रेषित।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
राजस्थान राज्य
(रुद्रप्रयाग)

प्रधानाचार्य
राजकीय पोलिटैक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from **Principal Government Polytechnic Chopta Rudraprayag Uttarakhand** (for diversion under FCA-1980) of **2.00 ha.** of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for **Construction of Government Polytechnic Chopta Rudraprayag.** The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated **02-10-2021.**

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF / PF / un-classed / Other forests measuring **2.00 ha. (Revenue Forest Land)**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. **Yes**

Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- **No**

Whether any protected archeological /heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- **No**

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. **Yes**

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. **No**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Recommended in the Public Interest.

(Signature)

Place:- Rudraprayag

Date :- 02-10-2021

Name - (Vaibhav Kumar Singh)

Designation **उप वन संरक्षक**

Office Seal **रुद्रप्रयाग वन प्रभाग**
रुद्रप्रयाग

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx Out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.